दिनांक 27.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण नहीं कराने वाले को 7 दिन का अवसर

भिलाईनगर/ निगम ने भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम नहीं बनाने वाले मकान मालिकों के नवनिर्मित भवनों में निगम के भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा उनकी जमा राशि से एजेंसी के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करवायेगी। वर्षा जल के संचयन करने के लिए निगम द्वारा लगातार जन जागरुकता अभियान चला रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्यशाला का आयोजन कर जन जागृति का प्रयास किया जा रहा है इसके लिए निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन एवं सलाह हेतु भिलाई नगर स्टेशन बस डिपों कोसानाला में सलाह केन्द्र का स्थापना किया गया है। जहां हर सोमवार एवं बुधवार को सहायक अभियंता रवि सिन्हा मो.नं. 9302893104 एवं विषय विशेषज्ञ मधुर चितलांग्या 9424220800 उपस्थित रहकर अपने सेवाएं देंगे।

निजी भवन मालिक जो निगम से भवन अनुज्ञा प्राप्त किये हैं। परन्तु वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं किये हैं उन्हे समाचार पत्रों के माध्यम से तथा नोटिस भेजकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कर अपने जमा राशि वापस प्राप्त करने सूचित किया गया था परन्तू अब तक कुछ मकान मालिकों के अतिरिक्त निजी में बनाये जाने का सूचना नहीं दिया गया है उन्हे 7 दिवस का अंतिम अवसर पुनः दिया जा रहा है उसके पश्चात् नगर निगम द्वारा स्वयं निर्माण एजेंसी लगाकर पूरा करायेगी एवं उनकी व्यय का समायोजन जमा राशि से की जायेगा। इस कार्य के लिए निगम द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति के तहत् दरें आमंत्रित की जा रही है तथा दरें प्राप्त होते ही कार्य किया जावेगा।

जनसम्पर्क अधिकारी

’’जल है तो कल है’’ ’’जल ही जीवन है’’